वित्तीय दिशा निर्देशन

Revised

कार्यक्रम का नाम: **District, Block, Village Health Action Plan for NRHM**

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक–1 के आधार पर): **De-centralised Planning**

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० को संख्या (अनुलग्नक–1 के आधार पर): B 19

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (5–10 वाक्य अधिकत्तम):

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच आमजन तक प्रभावी ढंग से पहुँच रही है जिससे स्वास्थ्य सेवाएं में बहुयामी सुधार हुआ है। तथापि कई अवरोध भी दृष्टिगत हुए है जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। इस कारण जिला, प्रखंड तथा ग्रामीण स्वास्थ्य कार्य योजना का बनाना अतिमहत्वपूर्ण है। इससे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन तथा जिलों/प्रखंडों को राशि आवंटन वित्तीय वर्ष 2011–12 में की जायेगी।

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा पिछले वर्ष जिला एवं प्रखंड स्तर पर कार्ययोजना शुरू किया गया था, जिसमें काफी सफलता मिली है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2011–12 में ग्रामीण स्तर से लेकर जिला स्तर तक की कार्ययोजना तैयार करने का प्रस्ताव है। जिला स्तर पर अब ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता मिशन गठित होना शुरू हो गया है, इस कार्ययोजना को तैयार कर सुनिश्चित किया जाना है।

<u>समय सारणी :</u>

यह कार्य माह जुलाई 2010 से शुरू कर माह दिसम्बर 2010 तक पूर्ण कर लिया जाना है, ताकि प्रखंड तथा ग्रामीण स्वास्थ्य कार्य योजना को जिला स्तर पर बनने वाले जिला स्वास्थ्य कार्य योजना में समेकित कर राज्य स्वास्थ्य कार्य योजना में ससमय समायोजना किया जा सके।

इकाई राशि (रू० लाख में) तथा वित्तीय दिशा निर्देशन :

- जिला स्वास्थ्य कार्य योजना तैयार करने के लिए रू0 100000/– प्रति जिला व्यय किया जाना है। इसके तहत् विभिन्न मदो में व्यय होगा– जैसे वर्कशाप, मिटिंग, यात्रा भत्ता, फोटोकॉपी, किराया पर लैपटॉप व अन्य Planning से संबंधित खर्च जिला के आवश्यकता के अनुसार किया जा सकता है।
- जिला स्तर पर District Planning Coordinator के लिए रू0 20000/– प्रति जिला/प्रति माह (09 माह) की दर से मानदेय भुगतान किया जायेगा।
- प्रखंड स्वास्थ्य कार्य योजना के लिए प्रत्येक प्रखंड के लिए रू0 25000/– प्रति प्रखंड की दर से व्यय किया जाना है, जो ग्रामीण स्वास्थ्य कार्य योजना के लिए कराये जाने वाले वर्कशॉप, मिटिंग, यात्रा भत्ता तथा अन्य Planning संबंधित कार्यो के लिए खर्च किया जायेगा।

<u>Planning के कार्य निम्न होगें:–</u>

1. District Planning Coordinator का चयन जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा किया जाना है तथा चयनित आवेदक को जिला स्वास्थ्य समिति में पदस्थापन करना है। इसकी चयन की प्रकिया राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा सूचित कर दिया जायेगा।
2. जिला, प्रखंड तथा ग्रामीण योजना समिति, को गठित करना ।
3. कार्यशाला/मिटिंग जिसमें वर्ष 2011–12 के लिए योजना को प्रतिपादन एवं अन्तिम रूप से तैयार कर, राज्य को समर्पित करना।
4. वर्ष 2010–11 के लिए त्रैमासिक बजट को कर्णाकिंत कर जिला स्तर पर तैयार करना।

5. वर्ष 2010–11 के लिए प्रखंड स्तर से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अन्य स्वास्थ्य संस्थानों के लिए वार्षिक तथा त्रैमासिक बजट तैयार करना।
6. राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा प्रेषित वित्तीय दिशा–निर्देश को वर्कशाप के माध्यम से सभी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधन इकाई तथा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी आदि) को जानकारी देना।
7. वर्ष 2011–12 के लिए जिला स्वास्थ्य समिति के बेवसाईड पर प्रखंड स्वास्थ्य कार्य योजना तथा Fund Allocation को अपलोड करना।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र ० सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम : राशि जयासवाल

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का फोन नंबर : 9470003016

08/06/10